SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Hindu communalism is more dangerous in India ; therefore we have to speak more and more about Hindu communalism.

(Interruptions)

SHRI Z. A. AHMAD : In Pakistan it is Muslim communalism ; in India it is Hindu communalism.

PROF. V. K. R. V. RAO : All communalism must be condemned.

Finally, Madam, I have to say this. Again Shri Bhupesh Gupta referred to prayers and people praying and so on. I want to go on record in this House as saying that whatever may be the personal views of other hon. Members, I definitely believe that belief in God is not reactionary. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not as Minister but as a person.

PROF. V. K. R. V. RAO : I want spiritual values in Universities.

SHRI BHUPESHaGUPTA: Madam, he is speaking like a communalist. I do not trust his secular *bona fides.*

PROF. V. K. R. V. RAO : I would like to end with a quotation.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You believe in prayer as a person, not as a Minister.

PROF. V. K. R. V. RAO : Prayer h not unmodern. Prayer is not.. . .

SHRI BHUPESH GUPTA : Nobody has said prayer is bad.

PROF. V. K. R. V. RAO : Then I stand corrected. Evidently there has been a misunderstanding. If that is so, I certainly. . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : All I say is that in this House we shall not start with a prayer. That is the idea.

PROF. V. K. R. V. RAO : That is all right. *(Interruptions).*

SHRI ABID ALI (Maharashtra) : Madam, why don't you tell him that the Minister is in possession of the House ?

THE DEPUTY CHAIR MAN: Let him finish it. Please finish your sentence.

PROF. V. K. R. V. RAO : I should like to conclude. Mr. Bhupesh Gupta said that there must be proper social values in the universities. *I* entirely agree with him and I should like to conclude with a quotation from Swami Viveka-nanda, which I had inscribed in a hall in the Delhi School of Economics and that is my last sentence. I am quoting. Swami Vivekananda said :

"May I be born again and again to serve the poor, the down-trodden, the suffering ;

My God the wicked. My

God the miserable,

My God the poor of all races and all species, Is the only object of my worship." I want such spiritual values to be inculcated in the university students. Madam, I move that the Bill be passed..

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed". *The motion was adopted.*

I. RESOLUTION SEEKING DIS-APPROVAL OF THE CENTRAL SALES TAX AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 (NO.4 OF1969O

II. THE CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1969

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उप-सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करना चाहता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1969 को प्रख्यापित केन्द्रीय बिक्री कर संशोधन, अध्यादेश, 1969, (1969 का संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

t[That this House disapproves the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 (No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969."]

यह मेरा दुर्भाग्य है कि इस सदन में सरकार के द्वारा जारी किये गये आर्डिनेंसेज को निरस्त

] English translation.

करने का प्रस्ताव मुझे रखने का एक कर्तव्य निभाना पड़ता है । यह जो एक्सट्राआर्डिनरी गजट के द्वारा आर्डिनेंस जारी किया गया, इस आर्डिनेंस की परिस्थिति निर्माण हुई एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण जो 10 नवम्बर, 1964 में हुआ था । इस 10 नवम्बर, 1964 के फैसले से उत्पन्न परिस्थिति पर 9 जून, 1969 को यह गजट का नोटिफिकेशन निकला । चार साल और सात महीने के बाद सरकार ने एक आर्डिनेंस के द्वारा उस फैसले के कारण उत्पन्न परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की और अब एक बिल के द्वारा इस आर्डिनेंस को एक साधारण कानून की शक्ल देने की बात की जा रही है । मेरा एक सीधा सा सवाल है सरकार के सामने यह बिल इस समय सदन में आया है । मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस स्ट्रेटेजी को तो समझ सकता हूं कि अगर आर्डिनेंस न निकला होता तो शायद यह बिल एक लम्बी क्यू में खड़ा हो जाता और पता नहीं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री इसको सदन में पेश होने के लिये कब अवसर देती और कब नहीं देती । अगर यह तरीका निकाला गया है इन बिलों को प्राथमिकता देने के लिये कि पहले आर्डिनेंस जारी कर दिया जाय क्योंकि आर्डिनेंस को सदन के बैठने के बाद एक निश्चित अवधि के अन्दर पास कराना होता है, नहीं तो वह लैप्स हो जाता है, और इस कारण से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऐसे आर्डिनेंस को वैलीडेट करने वाले कानून को क्यू में आग जगह दे देगी, तब तो मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस का इससे बढ़ कर मजाक और दूसरा नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि कैबिनेट को ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है और वह भिन्न भिन्न मामलों की अर्जेंसी के प्रश्न पर विचार करती है । जिस सवाल पर चार साल और सात महीने यह केन्द्रीय सरकार सोती रही बैठी रही और जिसके कारण अनावश्यक रूप से काम्पलीकेशंस का निर्माण हुआ, इस पर बजाय इसके कि जून के महीने में आर्डिनेंस निकाला जाता यह सेशन जो अगस्त में बैठा है इसी में इस विधेयक को, जैसा यह अभी लाये, वैसा ला कर इसके सम्बन्ध में विचार किया जा सकता था । 1964 से 1969 तक कितने ही बार सदन बैठ चुका है । लेकिन इतने वर्षों में सदन में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सका । इसलिये मेरा यह कहना है कि सरकार का यह आर्डिनेंस जारी करना आर्डिनेंस जारी करने के अधिकार का घोरतम दुरुपयोग है । हमें सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि ऐसे रुटीन मामलो में वह आर्डिनेंस जारी नहीं करेगी ।

अब यह सवाल उठाया जा सकता है कि आर्डिनेन्स इसलिये जरूरी हो गया कि प्रान्तीय सरकारों से रिफंड मांगा जा रहा था उस टैक्स का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले प्रान्तीय सरकारें वसूल कर चुकी थीं । मेरा यह कहना है कि जैसे ही 1964 के मुकदमे का फैसला हुआ, मैसूर सरकारने केन्द्रीय सरकार को मूव किया था कि इस फैसले के कारण उत्पन्न परिस्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया जाय, परन्तु उस समय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । उसी तरह का एक दूसरा मुकदमा सी० बी० गोविन्दराजा शेट्टी एन्ड संस वर्सेज सी०टी०ओ० का है । उसके बाद एक और फैसला हाई कोर्ट का हुआ, लेकिन उस हाई कोर्ट के फैसले के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गयी । सरकार ने खुद मैसूर सरकार के द्वारा इस सवाल को उठाने के बाद यहां पर कदम नही उठाया । हाई कोर्ट का दूसरा फैसला होने के बाद भी अपील में सरकार नहीं गयी और इसमें से एक इंप्रेशन निर्माण होने की बात हो गयी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के साथ संबद्ध कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने इंटर स्टेट सेल्स टैक्स के बारे में जो व्यवस्था की है केन्द्रीय सरकार उसको मान रही है, केन्द्रीय सरकार को उस व्यवस्था को मानने में कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए जितने भी इस प्रकार के व्यापारी थे उनका इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही इंटर सेल्स टैक्स की व्यवस्थायें चलेंगी या उस की लाइन्स पर अब निर्धारित होंगी यह माननी

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

किसी भी दृष्टि से गैर वाजिब ...

Notwithstanding anything contained W any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary. '"

अब यह भाषा, मैं समझता हूं कि किसी भी न्यायालय की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। अगर यह आर्डिनेन्स जारी करके सरकार कुछ भी मदद करना चाहती थी, किसी भी प्रकार की व्यवस्था करना चाहती थी तो उसका प्रोसपेक्टिव पालन करने की बात तो मैं समझ ... कस्टमस् का उस रिफंड कर दिया। अब इस आर्डिनेंस के द्वारा और आर्डिनेन्स के द्वारा रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से सब बातें लागू करना, यह क्या किसी भी प्रकार से शोभनीय है? इस चीज को हम मान सकते हैं कि अगर आप यह कहें कि आगे के लिये कानून में हम एक व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन यह एक सीधा एफ्रंट है जुडिशियरी का जिस में यह कहा गया है कि जुडिशियल जजमेंट में कुछ भी कहा गया हो :

"Not withstanding the judgment of thaY PrCTM ourt or ^ytWng like

मैं समझता हूं कि सरकार अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करने की कोशिश करे। हम यहां पर एक्जिक्यूटिव अथारिटी के रूप में, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटर के रूप में बैठे हैं। हमको भी देश की न्यायपीठों का सम्मान करना चाहिये। लेकिन हम कानून में एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जैसा कि वहां पर इस आर्डिनेंस के सेक्शन 9 में लिखा हुआ है :

"The Court also extended the scope of its ruling in Yaddalam case and held that the provisions of the sales tax law of the appropriate State would apply not only in respect of point of levy of Central Sales Tax but also in respect of deductions to be made in the determination of turnover for the purposes of calculating the tax payable under the Central Sales Tax Act."

मैं समझता हूं कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा और वेलिडेटिंग कानून के द्वारा आपने इस टैक्सेशन का स्कोप ही बढ़ा दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव एफक्ट से बढ़ाना व्यापारियों को सबसे गलत परिस्थितियों ोधन होगा। लेकिन यह अगर लिखा हो and will be deemed always to have been अर्थात् 1957 से, जब से यह कानून बना है उसी में इन सारी चीजों को लागू माना जायेगा, यह तो मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव अथारिटी का ऐसा अधिकार है जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता और मैं चाहूंगा कि सदन भी इस प्रकार के किसी कदम को जिसमें किसी बात को 12–13 वर्ष पहले से लागू करने की बात हो अपनी स्वीकृति न दे। फाइनेंसियल मैटर्स का सवाल है, टैक्स का सवाल है उसे 12 साल पहले से लागू करना और उसके लिए आर्डिनेंस लाना और फिर एक वेलिडेटिंग बिल के द्वारा व्यवस्था करना किसी भी प्रकार से जस्टिफेबिल नहीं है, उचित नहीं है बल्कि इस तरह के कदम के सम्बन्ध में सरकार की जितनी आलोचना की जा सकती है और जितना उसे गलत बताया जा सकता है उसमें इस सदन को मिल कर मेरी आवाज को बल देना चाहिए।

साधारणतया 1964 के फैसले के पहले किसी भी मामले को इन्टरस्टेट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अंतर्गत लाया जा सकता था और तदनुसार एसेसमेंट पास हो जाने के बाद सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की राशि एकत्र की जाती थी, लेकिन यह फैसला हो जाने के बाद उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वह परिवर्तन यह है कि स्वयं मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है, मैं कोट करना चाहता हूं :—

में डालना है। मैं मान सकता हूं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जिनकी और राज्यों में शाखाएं हैं, वे इससे बचने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी शाखाएं नहीं हैं वे इसकी चपेट में आ जाएंगे और अगर उनसे रेट्रोस्पेक्टिव वसूलिया करना प्रारंभ होगा तो उनके सामने अपनी बिजिनेस को वाइन्ड अप करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा।

महोदया, यह सारा कानून कृषिजन्य पदार्थों पर लागू होता है। कृषि से उत्पन्न होने वाली चीजों के, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के व्यापारियों के ऊपर 12–12 साल पहले से कानून को लागू करना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं माना जा सकता मैं समझता हूं कि इसकी रेट्रोस्पेक्टिविटी के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से सरकार को अपना स्टेन्ड बदलना चाहिए और इस कानून को, जिस ढंग से हम यह संशोधन करने की व्यवस्था कर सकें उस ढंग से, लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

आपको मालूम होगा कि 10–11–64 के फैसले के बाद मैसूर स्टेट में इस कानून के अनुसार जो सेन्ट्रल सेल्स टैक्स की राशि वहां के अन्दर के पदार्थों के ऊपर से वसूल करना बन्द हो गया तो उन्होंने अपना टैक्स लगा दिया और 2 परसेंट से खुद 5 परसेंट कर लिया। अब आप रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से लगाएंगे तो 5 परसेंट उनका है ही, रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट 3 परसेंट और बढ़ जायगा अर्थात् उन चीजों पर यह 8 परसेंट हो जायेगा। यह इतनी बड़ी राशि है कि जिसके बारे में हमें रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट का विचार करते समय सोचना चाहिए।

जो सिंगिल पाइन्ट टैक्स की चीजें थीं इस संशोधन से, इस आर्डिनेंस और बिल से वे मल्टीपिल पाइन्ट टैक्सेशन में आ जायेगी। सारा करैक्टर ही बदल जाता है टैक्सेशन का इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स की इस व्याख्या के अनुसार। हर चीज के बारे में इससे अनिश्चितता पैदा होगी और इसलिए इस काम को करने वाले लोगों के मनों में एक विचित्र प्रकार का कन्फ्यूजन और अनिश्चितता का वातावरण निर्माण हुआ है।

इस सम्बन्ध में मैं अब कोई बात नहीं कहना चाहता। मुझे ऐसा कहा गया है कि केरल सरकार ने विशेष तौर पर इस बात के लिए आपत्ति की कि अगर आर्डिनेंस जारी नहीं किया गया तो हमारे बहुत बड़े क्लेम पड़े हैं, हमको यह सब रुपया देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि मैसूर सरकार की आपत्ति को क्यों दुर्लक्ष किया गया और केरल सरकार की आपत्ति पर तवज्जह देने के लिए क्यों आर्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी। अगर दोनों प्रार्थनाओं का एक सबस्टेंन्स था तो क्या यह पोलिटिकल डिस्क्रीमिनेशन है। कभी-कभी घर वाले की भी उपेक्षा होती है लेकिन जिससे राजनीतिक सौदेबाजियां हैं शायद उनकी मांगों पर ज्यादा तवज्जह देने की बात हो। मैं समझता हूं कि यह कसौटी बिल्कुल लचर है, गलत है और इसमें आर्डिनैन्स के द्वारा किसी का विचार नहीं करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों को राज्यों से रिफन्ड लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। आप जानते हैं कि फैसला होते ही स्वयमेव राज्यों ने रिफन्ड नहीं दिया तो रिफन्ड लेने के लिए लोगों को केसेज फाइल करने पड़े, वकील लगाने पड़े और इतना खर्चा इस आशा से उन्होंने किया। पर सबका सब रिफन्ड हमको होगा। आप वसूल जरूर करना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को भी कन्सीडर करें कि अगर किसी व्यक्ति ने इसके रिफन्ड को क्लेम करने में वाजिब खर्चे बर्दाश्त किए हैं तो आप उस रिफन्ड को फिर से वसूल करने में उन वाजिब खर्चों के बारे में गुंजाइश रखेंगे। आपने इस बात को तो कहा है कि जिन्होंने वसूल नहीं किया उनसे हम नहीं लेंगे। यह डिस्क्रिमिनेशन है जो आपने अपने कानून में रखा है कि जजमेंट होने के बाद जिन लोगों ने वसूल नहीं किया और जिन लोगों ने वसूल किया। अब वसूल किया या नहीं किया, यह सवाल आप उसके

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

सन्स पर छोड़ना चाहते ह और इसलिए कानून में आप ही इस गुंगाइज को रखा रहे है कि नहीं वसूल किया। अब वह कैसे सिद्ध करेगा, कहां से सारा रिकार्ड लायेगा? मैं समझता हूं कि इस डिस्क्रिमिनेटरी धारा को भी दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए ।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस सारे में विधेयक में आपको इन चीजों का भी समावश करना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट के अनुसार जहां पर टैक्स रियलाइज कर लिया गया लेकिन डीलर्स को रिफन्ड नहीं किया गया वहां तो आप मान सकते हैं कि उसके पास रखा है, उसके पास रहना नहीं चाहिए और उसके पास रहना नहीं चाहिए, इसलिए सरकार को उसे ले लेना चाहिए। लेकिन जहां डीलर्स को रिफन्ड किया गया है उसको भी आप वसूल कर रहे है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा आपने जो सारी व्यवस्थाएं की हैं वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं हैं, आपको उन्हें बदलवाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आर्डिनेन्स को निरस्त होने दें। आर्डिनेन्स के द्वारा इन सब कार्यवाहियों को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाजिबकरार दी गई, 4 साल पुरानी बात है, इतने दिनों में, 4 सालों में आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट होने दिया, एकाउन्ट्स के रिफन्ड होने की परिस्थितियां पैदा कीं, रिफन्ड क्लेम करने की बातें आपने पैदा कीं, अब 4 साल 7 महीने के बाद आप जागे हैं और इसकी सजा दूसरे लोगों पर भुगताने की आपने इस आर्डिनेन्स के द्वारा कोशिश की है। आपकी इस गफलत की सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए।

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और आप के आदेशों के अनुसार जिन प्रान्तीय सरकारों ने वह सब रियलाइजेशन कर के रखा और उस फैसले के अनुसार जिन को रिफंड करना लाजमी है, किसी न किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मर्यादायें स्थापित करने के आधार पर मैं चाहूंगा कि इस आर्डिनेंस में जितना भी रिट्रास्पेक्टिव भाग है उसको आप हटायें और रिट्रास्पेक्टिव भाग को हटा कर फिर आप इस विधेयक को पास करवाने का प्रयत्न करें तो मुझे उस में किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। इसी आधार पर मैं अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करवाने का और फिर जो बिल आप पेश करेंगे, उस का मैं स्वागत करूंगा। इस आर्डिनेंस के द्वारा जो आप ने उस को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से पास करवाने की बात की है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस की भी रिट्रास्पेक्टिविटी को खत्म करें और उस व्यवस्था को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वह आगे के लिए लागू होगी और उस में हम फेयर हो सकेंगे डीलर्स के प्रति, टैक्स पेयर के प्रति और उस में किसी पर हार्डशिप और गैर-इंसाफी नहीं होगी, हम उस से बच जायेंगे। वही मुझे निवेदन करना है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. G. SETHI) : Madam, Deputy Chairman, I move :

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956 and to provide for certain other matters, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Hon. Shri Bhandari has moved his Resolution disapproving of the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance and he has proposed that the Ordinance be lapsed and that this Bill may not be passed.

As far as the question of Central, Sales Tax is concerned, the hon. Member has referred *to* the judgment *of* the Supreme Court of 1964. I would like to bring to the notice of the hon. Member that in 1964 the Supreme Court did deliver a judgement. But the question arose as *to* whether it applied to the Central Sales Tax after the 1958 amendment or it applied to only the 1956 Act. This was again challenged in the various High Courts. The Madras High Court had held that the above judgment *of* the Supreme Court did not apply to cases arising under that Act after its amendment in 1958. The High Courts of Kerala and Mysore took a different view. The matter

came up again in appeal before the Supreme Court. Its judgment was delivered in August, 1968. Therefore, the contention of the hon. Member in saying that the Government woke up only after four years and seven months is not correct because the final judgment was delivered by the Supreme Court in August, 1968.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : In different cases.

SHRI P. C. SETHI : The question was whether after the 1958 Act's amendment, this could be applied or not. It was there in the various High Courts. As I have said, the Madras High Court gave a different ruling and the High Courts of Kerala and Mysore gave a different ruling. Then the matter again came up before the Supreme Court and the Supreme Court pronounced its judgment finally in August, 1968. The *hoa.* Member could also say that in between August, 1968 and the date of promulgation of this Ordinance there are quite a number of months. But this was not a matter which could be decided only by us. The matter had to be referred to the Regional Councils, the matter had to be referred to the various State Governments and it was only after obtaining their views that we had to promulgate this Ordinance.

As far as the provision of the judgment is concerned, in the judgment the Supreme Court held that the expression 'levied' in section 9(1) of the Act, as it stood prior to its amendment on tst October, 1968, by the Central Sales Tax (Second Amendment) Act, 1958, meant levied as under the appropriate State Sales Tax Law and that accordingly the point at which a sale was to be taxed under the appropriate State law applied also to assessments under the Central Sales Tax Act. Besides they also held that the expression ' in the same manner' which occurred in section 9(2) of the Act as it then stood had the effect of assimilating within its ambit both the procedural and the substantive provisions relating to imposition, levy and collection of tax provided in the appropriate State law.

Now, in view of that judgement, the situation arose that the provisions of the Act which were meant in a different way were completely nullified and therefore the situation arose that a refund of Rs. '68.48 crores had to be given back.

The hon. Member has said that the question arose only because the Government of Kerala represented in the matter. That is not so. Of course, the Government of Kerala did represent in the matter ; one of their Ministers also came here. But the fact remains that the refunds are Rs. 44 crores in the case of Maharashtra, Rs. 14.06 crores in the case of Gujarat, Rs. 5.25 crores in the case of Kerala, Rs. 1.95 crores in respect of Mysore, Rs. 2.55 crores in Madras, Rs. 0.05 crores in Madhya Pradesh and Rs. o .62 crores in Andhra Pradesh. Thus, the total refunds which are to be made, according to the Supreme Court's judgment, would be Rs. 68.48 crores. And here Kerala represents only Rs. 5.25 crores. The major impact of this judgement is on the States of Maharashtra and Gujarat. Therefore, it will be a very difficult situation for the ways and means position of the State Governments, and it was quite natural that the State Governments should approach the Central Government, and the Central Government had to take this view that an Ordinance would have to be promulgated, and that is why this Ordinance was promulgated.

As far as the Ordinance is concerned, another point which is raised by the hon. Member is, why is retrospective effect as being given ? If retrospective effect is not given, then it will be a very difficult situation and all this tax which has been collected will have to be refunded, which will create a very difficult situation for the respective State Governments. Therefore, retrospective effect has to be given, and there is no other way out.

The other point made by the hon-Member was, what will happen in the case of such merchants who have refunded the sales tax. If there are any cases of refunds, then cert ainly to that extent, the merchants concerned will get relief. We have also. . . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन,

SHRI P. C. SETHI : If they have collected and refunded it back, certainly that will be taken into consideration.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Refund to the dealers.

SHRI P. C. SETHI : I will come to that.

Similarly, if a tax has not been collected by somebody, in that case also that will be taken into consideration. But the

[Shri P. C. Sethi]

hon. Member is well versed with taxation laws. It is the common practice that the onus of proof does lie on the merchant himself and therefore if the merchant is able to prove from his record that he has collected and refunded it, certainly he would get the benefit. If he has proved that he has not collected at all, then also certainly he will get the benefit. But it is not possible that without any proof, we can go into this question.

Another matter which has been raised by the hon. Member is, wherefrom will the merchant produce the record ? There is a law of limitation in every State and it is the common practice that till the law of limitation applies, to that extent, the records are maintained by the merchant.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Three years.

SHRI P. G. SETHI : Whatever it is. It may differ from State to State. Therefore, according to this position, the records are to be maintained by the merchants and if they can prove by their records— the onus certainly lies on them—then certainly that will be taken into consideration.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is the Government also not bound by these limitation laws that beyond three years they will not go ?

SHRI P. C. SETHI : I am speaking about the records.

It had always been the intention of the Government that except in cases where any goods are generally exempt from tax in a State,the first inter-State sale would always be liable to tax under the Act and that the turnover for the purposes of assessment of tax would be determined in accordance with the rules framed under the Act.

As it happend, in the light of this particular judgement, this not only gave priority to the State laws but it also determined the manner in which it had to be levied and therefore it became necessary to amend it.

The State Governments were faced with attenuation in collections of Central Sales Tax in other cases due to their obligation under the aforesaid judgement of the Supreme Court, to allow deduction and give exemptions etc. which were provided under the States Sales Tax Laws and which were not intended to be applied under the Central law. It thus became necessary to give retrospective effect to the amendments to get over the difficulties arising as a result of the Supreme Court judgement and to protect the States against demands for refund of Central Sales Tax which they had collected as per the scheme contemplated in the Act. If such a provision had not been made, apart from grant of huge refund, which would have put the financial position of States in jeopardy,, an unintended benefit would have accrued to the dealers and not to the purchasers from whom the tax would have been collected by the dealer. The Government of Kerala requested the Central Government, as I have already said, and the other States had also opined about it. In view of this it has to be done. I have nothing more to say.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Did Maharashtra also ask for it ?

SHRI P. C. SETHI : Certainly, every State which has to refund has asked for it. Therefore, there was no alternative but to promulgate an Ordinance as Parliament was not in session at that time. We have now come before the House with this Bill. I hope there is nothing wrong in this particular Bill. It only provides what should have been legally accruable to the States. Therefore, Madam I move the Bill for consideration.

The questions were proposed.

SHRI C. ACHUTHA MENON : (Kerala) : Madam Deputy Chairman' I rise to support this Bill. I was surprised to find my friend, hon'ble Mr. Bhandari, opposing this Bill vehemently. Perhaps he was not aware of the implications if this Bill is not passed in to law on the finances of the various States. The hon'ble Minister has made it clear that it is not a question of the Kerala Government alone but also of many other State Governments which will have to refund large amounts of money if this Bill is not passed into law.

Madam, I wish to draw the attention of the Government and also of this House to the fact that States like Kerala depend to a very large extent upon the income from sales tax because of the peculiar economy of those States. Now difficulties have been created by the various judgments of the High Courts as well as the

Supreme Court. The Central Sales Tax Act was passed in order to facilitate the collection of Central Sales Tax, that is to say, tax on the sales or purchases of goods in the course of inter-State trade or commerce by the State Governments. There were some doubts whether the States could have levied and collected these taxes. It was for this purpose that an amendment of the Constitution itself was made in 1956.

According to the sixth amendment of the Constitution made in 1956, the Central Government was enabled to levy and collect a tax on the sale or purchase of goods in the course of inter-State trade or commerce. But under article 269(2) of the Constitution the entire proceeds of the tax was to be assigned to the State concerned. So this became an important source of revenue to the States over since 1956. So far as Kerala is concerned, it is an important source of revenue. In the State of Kerala, commercial products, which are sold and exported not onlv outside India but to other States of India, form an important source of revenue. Unless these States are enabled to collect the Centra! Sales Tax, their revenue will be very much affected. The system of sales tax that is at present existing in Kerala has certain pecularities which makes it all the more important that this Bill is passed. For instance, there are products like tea or pepper or arecanut. The system of sales tax on these commodities in the State of Kerala is something like this.

On some of these important products, you levy and collect the State Sales Tax at the last purchase point or at the first purchase point, and then the other transactions, the other points of sale, are exempt from tax. If the judgment of the Supreme Court in the State of Mysore *Vs.* Yaddalam Lakshminarasimhiah Setty and Sons is followed, no Central Sales Tax can be collected on these products. The implication of the judgement is that since only the last purchase point in the State is subject to tax, every other point of the sale or transaction taking place, whether inside or outside the State, is exempt from tax. So the State cannot also collect the Central Sales Tax, which they would have been able to collect otherwise, under the provision of section 9 of the Central Sales Tax Act which says:

"(1) The tax payable by any dealer under this Act on sales of goods effected by him in the course of inter-State

trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India in the manner provided in subsection (3) in the State from which the movement of the goods commenced :"

and sub-section (3) reads thus :

"(3) The authorities for the time being empowered to assess, collect and enforce payment of any tax under the general sales tax law of the appropriate State shall, on behalf of the Government *of* India and subject to any rules made under this Act, assess, collect ^nd *enforce* payment *of* any tax, including any penalty, payable by a dealer under this Act in the same manner as the tax on the sale or purchase of goods under the general sales tax law of the State is assessed, paid and collected ;"

So far as Central Sales Tax is concerned, the Central Government does not provide any machinery *of* its *own* for collection or levy. It is entirely left to the States to use their own machinery for the purpose of collection of the levy. But the Act says that the Central Sales Tax has to be collected, levied and paid in the same manner as the sales tax of the concerned State is collected, levied or paid. The whole question turns upon the interpretation of this particular phrase "in the same manner.'" The Supreme Court came to the conclusion that all the various provisions of the State Act of the concerned State with regard to the General Sales Tax Act of that State will be automatically imported into the levy, collection and payment of the Central Sales Tax. If, for instance, under the General Sales Tax Act of the State a particular exemption of a certain kind is provided for the collection of the sales tax, even though there is,,no provision so far as the Central Sales Tax is concerned for any exemption, the exemption will be enforceable so far as the Central Sales Tax Act also is concerned. This, I think, was not something what was intended at the time of the passing of the Central Sales TJX Act. So it was necessary to get out of this difficulty. So even after the Mysore Government case mentioned here by the Minister, there have been a number of cases in the Kerala as well as the Madras High Courts which gave the interpretation that *so* far as this section 9 was concerned it only meant that the Central Sales Tax is to be collected in the manner provided for in the State Act concerned.

[Shri Achutha MenonJ

1 P. M.

That is to say, it provides only the machinery, the *modus operandi* or the method of collection and it does not *ipso facto* import all the provisions of the State law into the collection or levy of the Central Sales Tax. This is the import of the judgments in very many cases in the Madras High Court as well as in the Kerala High Court. For instance, I may mention the case of S. Mariappa Nadar and Others *Vs.* the State of Madras. Another example is the case of Parvathi Mills Ltd. *Vs.* the State of Kerala. In the latter case, the excise duty paid to the Central Government by a dealer and collected from his customers was not permitted to be excluded from the turnover by the application of Rule 7(1) of the General Sales Tax Rules, 1950, framed under the local Sales Tax Act. It was observed in that case that the expression "in the same manner" in section 9(a)of the Central Sales Tax Act did not attract the application of the rule which justified the exemption.

So, like that so many cases were decided by the High Courts and it was in accordance with the judgments of the High Courts concerned, Madras and Kerala, that a particular interpretation was placed upon the operation of the Act. So far as Kerala was concerned, officers have collected this tax and the dealers were also collecting this tax from the people with whom they were trading. So a number of transactions had taken place over the last so many years and large amounts have been collected. It was stated that so far as the State of Kerala is concerned, about Rs. 5.25 crores have been collected and if this Bill is not passed into law, the whole amount will have to be refunded. That is the position. It creates various difficulties. And as the hon. Minister stated, it is not confined to Kerala alone, but it covers the other States also. So it is necessary that this Bill is passed into law so that the States will be able to balance their budgets and find resources for development projects and so on.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : If you are considerate for a State, why not be so far the individuals also ?

SHRI C. ACHUTHA MENON : I am coming to that. That was the last point that I wanted to deal with. We know that so far as sales tax is concerned, the scheme ot the Act is to collect the tax from the consumers through the agency of the dealers. That is the scheme of the entire sales tax system itself. It is not as if the dealers are paying the tax. The dealers are not paying anything. The entire amount is collected from the consumers. The dealers act as agents for the Government for the collection of the tax and whatever amount has been collected is not their money. It is either the money of the consumers or it is public money which ought to go to the Government. So I do not think there is any hardship at all if this Bill is passed into law and the dealers are deprived of refunds. The difficulty will arise only in cases where they have not collected tax. In such cases, this Bill itself provides protection, as the hon. Minister has pointed out. The relevent caluse is clause 10(1). It provides :

> "Where any sale of goods in the course of inter-State trade or commerce has been effected during the period between the 10th day of November, 1964 and the gth day of June, 1969, and the dealer effecting such sale has not collected any tax under the principal Act on the ground that no such tax could have been levied or collected in respect of such sale or any portion of the turnover relating to such sale and no such tax could have been levied or collected if the amendments made in the principal Act by this Act had not been made, then, notwithstanding anything contained in section 9 or the said amendments, the dealer shall not be liable to pay any tax under the principal Act, as amended by this Act, in respect of such sale or such part of the turnover relating to such sale."

So, there is no difficulty. If he has not collected any tax, he need not make any refund or pay to the Government. If he has collected any tax from the consumers, then naturally this money, which ought to go to Government, should go to Government. Where is the difficulty ? Where is any injustice in appropriating that money to the Government ? It is the place where that money ought to have gone. The money is public money. Therefore, there is no difficulty in providing that such money should go to the Government and these things should be regularised. So I do not think there should be any objection to this Ordinance or to the Bil! being passed into law. I support this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Chatterjee will speak next. The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) in the Chair.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, 1 welcome this Bill and I should say that this has been a timely measure in view of the fact that the Supreme Court judgment not only eroded the concept of Central Sales Tax but had also put the States, at least some of the States in such a difficult situation that by its judgments the States could have been compelled to refund the sales tax collected under the Central Sales Tax Act. You know that under Article 269(1) of the Constitution the sales tax collection under the Central Sales Tax Act has been allocated to the States and it has also been stated that the States shall retain those taxes as one of those finances which have been made available to the States. But because of the several Supreme Court judgments, at least four of them, the situation became like this that if a Central Sales Tax has to be imposed or levied, that has to be levied not merely in accordance with the procedure that is obtaining or prevailing in the particular States, but the Supreme Court judgements further stipulated that the Central sales tax in substance, not merely in procedure, would also have to conform to the sales tax laws of the different States. That is to say, if by virtue of a local sales tax law a sales tax has to be imposed only at a particular point, at the point of purchase or at the point of sale, then after such sales tax is imposed according to the law of the State at the particular point of sales or at the particular point of purchase, according to the Supreme Court judgments under the Sale Tax Act no other sales tax could be recovered or levied if such goods after such payment of sales tax were in transit from that State in which the sales tax was paid to another. That is to say the Supreme Court judgments cut at the root of the entire concept of the Inter-State Sales Tax Law. Actually the jnter- State Sales Tax Law is based upon this concept that if particular goods which are liable to sales tax, when they are purchased or sold and in the course of such purchase or sale, they move from one State to another, then, such inter-State movement of goods would make them liable to sales tax. But the Supreme Court judgment said that in the case of such inter-State movement of goods if, for example, sales tax has already been paid at a particular point of either purchase or sale within a State, then that exhausts its liability to further sales tax even though these goods on which sales tax has been paid are purchased or sold between different States and in the course of such purchase or sale there is an inter-State movement. That dent made by the Supreme Court in the sales tax concept has been, so to say, plugged by this particular Act. Not merely that. This particular Act has also saved certain States from making a refund which the traders were clamouring for because of the force of these Supreme Court judgments. Immediately after these judgments were delivered by the Supreme Court, the traders began clamouring for the refund of the sales tax collected from them under the Central Sales Tax as amended in 1958. According to the Supreme Court judgments the sales tax as levied or as collected under the Central Sales Tax Act before this amendment by the Central Sales Tax Ordinance, some of the sales taxes collected on the goods became immediately invalid because according to those Supreme Court judgements that sales tax under the Central Sales Tax Act before this amendment by the Central Sales Tax Ordinance could not be levied because it offended the particular sales tax law of the States concerned. And moreover, if, for example, there was no sales tax law in a particulars State, the Supreme Court judgments could have been applied with a greater force because according to the Supreme Court judgments no sales tax under the Central sales tax Act could at all be levied. Therefore, because of this, the sales tax already collected under the Sales Tax Act became invalid by virtue of these judgments. Therefore, the traders began to file writ petitions and other cases in different High Courts of different States for the refund of that sales tax. As has been stated by the Minister concerned in his report justifying the promulgation of the Ordinance, I mean the Central Sales Tax Ordinance, the State of Kerala was faced with the prospect of refunding to the extent of Rs. 5 crores. Now, the position of the State finances is not very good. The State resources are also not flexible. Moreover, these States are not being given allocations from the Centre, and as I said, they should have been

[Shri A. P. Chatterjee]

granted greater allocations. Even the interim award of the Fifth Finance Commission is not very satisfactory as far as the States are concerned. The States have not been given a fair deal by the Finance Commission, not at least by virtue of their interim award. I do not know what will be the study by the latest Finance Commission in its final award or its final report. But it is quite true that the Finance Commission has given the States a raw deal, so to say, in its interim award. Mr. Vice-Chairman, I may digress a little on this point and I may say that as far as the State of West Bengal is concerned, as far as the State of Kerala is concerned, they are entitled to a better deal at the hands of the Finance Commission. As a matter of fact, look at the State of West Bengal. We contribute a great part of...

SHRI SUNDAR SrNGH BHAN-DARI : You are rubbing the point in a wrong context.

SHRI A. P. CHATTERJEE : I can come back to the context and you will see how the context is there. I will come back to the context and this is all in the context. You know, as far as the State of West Bengal is concerned, it contributes a great part of the export earnings by virtue of the export of jute and tea. Kerala also contributes a great part of the export earnings by virtue of the export of rubber, cashewnuts and all that. But even in spite of the fact that we have been contributing a lot to the earnings of the Indian Union, we have been given a raw deal by the Finance Commission. Whatever finances were available to the State if that also go away, then the State will have to face a very bleak future. The Central Sales Tax collected is meant to be available to the States under articles 269 of the Constitution and if that goes, by virtue of the Supreme Court judgment then the States, naturally, will be great losers. Therefore, this measure and prior to this, the Ordinance, which is being replaced by this, which has tried to plug the loopholes caused by the Supreme Court judgment has to be welcomed. I am told—I was not present then—that Mr. Bhandari has addressed this House on this point and said that as far as this Statute is concerned, this should not have been retrospective in operation. I agree with him in principle that great caution must be taken at least as far as financial measures are concerned. Great caution should be adopted to see that they are not retrospective in operation and by bein§ retrospective in operation they do not impinge harshly upon the persons who have to pay taxes. I agree with him in principle. Though I agree with him in that point in principle, we have to be a little flexible in this case. As a matter of fact one of the reasons for the promulgation of this Ordinance and then bringing! in this Bill for consideration is that some of the States are faced with the demand for taxes that have been paid under the preceding Act by the traders. As has been said, in the case of one State the demands are to the extent of Rs. 5 crores. I do not know how it would affect Bengal but it might be in the region of some crores. Therefore, it was necessary that this measure should have been retrospective in operation in order that the States' finances might not be depleted, in order that the States may not be com-I pelled to pay back the taxes which were legitimately collected but if I may say with great respect to the Supreme Court, the Supreme Court made a great dent, so to say, made a puncture in the concept of the inter-State Sales Tax principle by virtue of their judgement.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Not only in this respect but in all cases perhaps.

SHRI A. P. CHATTERJEE : The concept of Inter-State Sales Tax is that the sales tax is imposed because of movement of goods. I do not know why the learned Judges of the Supreme Court failed to see that. Anyway, the Judges have a right to err perhaps and because they err, so many appeals are also there. They have the jurisdiction to decide wrongly and if they have decided wrongly, I agree they have a jurisdiction to do so. Therefore their wrong decisions have to be rectified by a parliamentary Act. Therefore, I conclude that this measure is a timely measure and this has been rightly brought to rectify, if I may say so, with respect again, the erroneous judgment of the Supreme Court which failed to see the principle of Inter-State Sales Tax which is a sales tax bound to be imposed on movement of goods and therefore this measure is one in the right direction.

श्री बालकृष्ण गुप्त (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कामरेड श्री चटर्जी का समर्थन नहीं कर सकता । मैं यह जानता हूं कि यह सेल्स टैक्स छोटे-छोटे व्यापारियों को हिन्दुस्तान

भर में बरबाद करता है। जिनके यहां एक दो आदमी काम करते हैं, उनको एक दो आदमी सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स के लिये रखने पड़ते हैं, आय दिन मुकदमों की तारीखें पड़ती रहती हैं और वे बेचारे बरबाद होते रहते हैं। कहीं मल्टी प्वाइंट सेल्स टैक्स है, कहीं सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स है, किसी प्रांत में कोई रेट है और किसी प्रांत में कोई रेट है और इन सब चीजों से छोटे-छोटे लोग बरबाद होते रहते हैं। कहीं से उनको नोटिस मिलता है, कहीं से कुछ होता है। सरकार इस वक्त कह रही है कि हम छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देंगे और बड़े व्यापारियों को निरुत्साहित करेंगे। लेकिन इस सरकार के जितने भी ऐक्ट और कानून कायदे बनते हैं, उनसे छोटे-छोटे व्यापारी अपने व्यापारी से वंचित होते जा रहे हैं और बड़े व्यापारियों का पेट मोटा होता जा रहा है। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करार दिया हो, चाहे किसी ने कुछ करार दिया हो, मुझे छोटे-छोटे व्यापारियों से रात दिन मिलने का मौका मिलता रहता है और मैं उनकी परेशानियों को देखा करता हूं। उनकी सुनवाई न यहां संसद् में होती है और न सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े-बड़े व्यापारी अपने टैक्स का केस ले जाते हैं। छोटे व्यापारी तो बेचारे सेल्स टैक्स आफिसर की खुशामद करने में और वकील खड़ा कर के अपना बचाव करने में लगे रहते हैं।

SHRI A. P. CHATTERJEE: He has spoken of small dealers. Is inter-State movement of goods on which this Sales Tax is imposed, done by small traders?

SHRI BALKRISHNA GUPTA: Oh yes, smaller people also do it. I am defending the smaller ones.

ये छोटे-छोटे व्यापारी बेचारे रोजाना बरबाद होते जा रहे हैं। उनको भी बाहर माल भेजना पड़ता है। शायद इनको कोई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मतलब हो और इनका व्यापार से उतना लगाव और सम्पर्क न हो जितना कि मेरा है। मैं यह कहूंगा कि यह जिस तरह के सेल्स टैक्स के कानून और कायदे बने हैं, उससे लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। मैं कहता हूं कि जिस तरह से कपड़े पर और चीनी पर एक्साइज टैक्स लगाया गया है, उसी तरह से सेल्स टैक्स लगाने के बजाये बड़े-बड़े कारखानों में जहां से काम शुरू होता है, वहीं पर एक्साइज ड्यूटी लगा कर के छोटे-छोटे व्यापारियों को परेशानियों से मुक्त किया जाय। यह फाइनेंस मिनिस्टर के सोचने की बात है। बड़े-बड़े कारखानों से जहां माल निकलता है, जहां माल पैदा होता है, वहीं पर अगर टैक्स वसूल कर लिया जाय, तो ये छोटे-छोटे व्यापारी जो गिरते जा रहे हैं, छोटे-छोटे दूकानदार जो बेकार होते जा रहे हैं, उनको भी अपनी रोजी और रोटी कमाने का मौका मिलता रहे। मैं बिड़ला की बात नहीं कहता हूं। मैं टाटा की बात नहीं कहता हूं। उन पर आप जितना चाहिये उतना इंटर स्टेट सेल्स टैक्स लगाइये और उसको वसूल कीजिये। मैं पांच करोड़ या दस करोड़ वाले लोगों के लिये यहां नहीं बोल रहा हूं। अपने को समाजवादी कहने वाली इस पुरानी कांग्रेस सरकार के बारे में भी मैं नहीं बोल रहा हूं। चाहे कांग्रेस अपने को समाजवादी कहे, चाहे कुछ कहे, यह करोड़पतियों की संस्था है। आज ही मुझे पता लगा है कि श्री शांति प्रसाद जैन के "टाइम्स आफ इंडिया" ने इन्दिरा जी के पक्ष का समर्थन कर दिया, इसलिये उनको बनेट कोलमैन ऐंड कम्पनी वापस दी जा रही है। कांग्रेस में जो नकली समाजवादी नेता हैं, वे इधर उधर की बातें करके दूसरों को प्रतिक्रियावादी बता रहे हैं और उनको अपने पदों से जहां पर उनको भी कुछ मिल जाता था निकाल रहे हैं। यह देश के लूट के बटवारे का सवाल है। यह कोई मामूली सवाल नहीं है। इस लूट में वे चाहते हैं कि पुराने लोगों को निकाल दिया जाय और वे ही अकेले लुटेरे बने रहें। समाजवाद की चादर ओढ़ कर आज ये सारी बातें की जा रही हैं। *(Interruption)* वैसे तो हमने और हमारी पार्टी ने गिरी जी को वोट दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि आज क्या हो रहा है। जो सरकारी पार्टी है, उसका तरह तरह का आज

[Shri Balkrishna Gupta]

आचरण देखने को मिल रहा है और तरह तरह के डील्स हो रहे हैं। यह जो सरकार आज समाजवाद के ढांचे पर खड़ी हुई है, इसकी नीति अनाचरवाद की है, राजनैतिक भ्रष्टाचार की है। किसी के ऊपर इंक्वायरी की तलवार लटका कर के उसका समर्थन प्राप्त करने का इसका उद्देश्य हो गया है। बिड़लाजी के अखबार "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने इन्दिराजी के मेजर का समर्थन किया है; क्योंकि उनके सिर पर इंक्वायरी की तलवार लटक रही है। उन्होंने बैंकों के नेशनलाइजेशन का भी समर्थन किया है जब कि उनकी खुद की यूनाइटेड कमशियल बैंक ले ली गई है।

यह वातावरण है। इसके पीछे कितना अनाचार और भ्रष्टाचार हो रहा है, यह तो जमाना ही बताएगा। मेरा ऐसा बोलने से मेरे कम्युनिस्ट साथी मेरा गला पकड़ने दौड़ने लगेंगे।

SHRI A. P. CHATTERJEE: Is this all in the context of the Bill?

श्री बालकृष्ण गुप्त : यह सेल्स टैक्स और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उन सबका एक ही स्रोत है जैसे हिंदुस्तान की नदियां हिमालय से निकलती हैं, उसी तरह से ये सब कानून कायदे लोगों को दिखाने के लिये बनाए जाते हैं। किसी का 5 करोड़ टैक्स माफ हो जाता है और किसी के 50 हजार के लिए घर नीलाम हो जाता है, उस टैक्स के लिए जो आरबीट्रेरी लगा हुआ है। हिन्दुस्तान में आज कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई न्याय नहीं रहा है, कहीं कोई इन्साफ नहीं हो रहा है। बड़े छोटों की बात बहुत होती है। कहा जाता है कि छोटों को सुरक्षा होगी, छोटों को राहत दी जायगी, छोटों को ऋण दिया जायगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि छोटों को कोई देने वाला नहीं है। पहले भी बहुत सी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी क्या होने वाला है, यह जो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले आते हैं, उनको 6 महिने में पता चल जायगा। अभी अभी कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि कांग्रेस के शासन को बचाओ, किसी तरह से झगड़ा-झंझट मत करो, ये बने रहेंगे तो हम भी बने रहेंगे। इस तरह का राजनितिक भ्रष्टाचार आज हिन्दुस्तान में व्याप्त है। यह सब क्यों हो रहा है?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : सोलिसिटर्स फर्म के लिए लोन मिलने वाला है।

श्री बालकृष्ण गुप्त : कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बिड़ला या टाटा को मिलेगा, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। छोटों को तो बुलवा कर घर के आगे ताली बजवा ली जायगी, आरती ले ली जायगी और अखबार में दूसरे दिन लम्बी-लम्बी तस्वीरें छपेंगी, वक्तव्य छपेंगे, तरह तरह से लोगों को दिखाया जायगा। ये झांसे तो इनके बाप ने 20 बरस तक हिन्दुस्तान को दिखाए और अब फिर दिखाने की बड़ी चेष्टा हो रही है। थोड़ी देर पहले क्रान्तिवाद के जो आचार्य हैं इस सदन में वे हमसे कह रहे थे कि कांग्रेस का शासन बचाओ। यह कैसी क्रान्ति है कांग्रेस का शासन बचाने की।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ये आचार्य आ रहे है।

श्री बालकृष्ण गुप्त : ये हैं, डांगे हैं इनमे भी बड़ा आचार्य, कहते हैं कि कांग्रेस में एकता बनी रहे, कांग्रेस के केंडिडेट को प्रधान मंत्री हराती रहें, जनतंत्र में यह अभूतपूर्व प्रदर्शन होता रहे। यह हम लोग देख चुके हैं और भी देखने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या इन लोगों के एग्रीमेंट होते हैं, क्या-क्या चीजें खरीदी जाती हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Is it on sales tax on Congress?

श्री बालकृष्ण गुप्त : यह कोई नया किस्सा नहीं है।

SHRI A. P. CHATTERJEE: It has no relevance to this Bill.

एक माननीय सदस्य : आप इनके पक्ष में कह रहे हैं और चटर्जी आपसे नाराज हो रहे है।

श्री बालकृष्ण गुप्त : चटर्जी तो सी०पी०आई० (एम) का आदमी है । भूपेश गुप्त एतराज करें तो दूसरी बात है, क्योंकि वे तो इन्दिरा जी की साड़ी के छोर से बंधे हुए हैं। जब इन्दिरा जी, आक्सफोर्ड में सोमरविले कालेज में पढ़ती थीं, तब ये बाबू भी आक्सफोर्ड में पढ़ते थे, मैं भी लन्दन में पढ़ता था। मैंने देखा है कि इनका सम्बन्ध नया नहीं है, बहुत पुराना है। कम्युनिज्म और कांग्रेसइज्म दोनों का गठबंधन इन्होंने करवाया है । यह गठबंधन अब खूब जोर से चल रहा है और हम लोग खुब मजे से तमाशा देखेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान का कम्युनिज्म है आज वह इतना पतित हो गया है कि सबी क्रान्तिकारिता खत्म हो गई है और एक स्टेट्स को को बनाए रखने के लिए वे कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं, जिसको ये प्रगतिवादी कहने लगे हैं और दूसरों को प्रतिक्रियावादी कहने लगे हैं। यह प्रतिक्रियावाद कहां है, प्रगतिवाद कहां है और कहां रहेगा और कहां जायेगा यह तो जमाना और आगे की घटनाएं ही बताएंगी । इसलिए मैं भविष्य के अन्दर दृष्टि नहीं डालना चाहता हूं ।

यहां मैं यह कह देना चाहता हूं कि जितने कानून कायदे बने हैं वे घूस के स्रोत हैं । जितने ज्यादा सख्त कानून बनाओगे, जितनी ज्यादा पेनल्टीज लगाओगे उतनी ही ज्यादा घूसखोरी हिन्दुस्तान में बढ़ेगी। यह जो राजनीति हिन्दुस्तान में चल रही है, उसी घूसखोरी के पानी की सिंचाई से पल्लवित है । इस घूसखोरी को नष्ट करने से ही यह राजनीति नष्ट होगी, नहीं तो इस राजनीति का अन्त नहीं है, चाहे कोई जीते, कोई हारे ।

BUI, 1969

SHRI BHUPESH GUPTA: I should like to put very heavy sales tax on his speech so that it does not sell at all ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : We shall consider.

SHRI A. P. CHATTERJEE: But is i[1] a saleable commodity ?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Perhaps according to Mr. Bhupesh Gupta, and he can create markets for anything.

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनको देखने से पता चलता है कि दिन ब दिन सेल्स टैक्स के रेवेन्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में 24 परसेंट, सेकिन्ड प्लान में 34 परसेंट और थर्ड में 50 परसेंट है, किसी किसी प्रान्त में तो 55 से 60 परसेंट तक सेल्स टैक्स का रेवेन्यू एकत्र हो रहा है। इसके बावजूद हमारे मिनिस्टर साहब ने और मेरे अन्य मित्रों ने सेल्स टैक्स लगाने के बारे में कहा है । इस बारे में उन लोगों ने केवल यही दलील दी है कि हमारे प्रान्तों में पैसा कम है, हमारे पास रेवेन्यूज कम हैं, हमें सरकार ने ठीक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए हमें सेल्स टैक्स लगाने की इजाजत दी जाय। इस कानून के आने से जिन-जिन चीजों पर अभी तक सेल्स टैक्स नहीं था, उन सब चीजों पर सेल्स टैक्स लग जायेगा। उत्तर प्रदेश में टैक्सटाइल गुड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स, पोल्ट्री फीड्स, कैटिल फीडर, लाइवस्टाक, पैडी, व्हीट जितनी भी ऐसी चीजें हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं था, लेकिन अब वे सब चीजें उत्तर प्रदेश से बाहर जायेंगी तो उन पर सेल्स टैक्स लगेगा। नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल के निर्णय के अनुसार दिसम्बर, 1957 में चीनी, तम्बाकू और सूती कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटा कर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी। अब फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को सेल्स टैक्स में रिप्लेस कर दिया जाय । इसका अर्थ यही होता है कि कभी हम सेल्स टैक्स को हटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं और जब हमें उसमें पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी को हटा कर सेल्स टैक्स लगाया जाय। इस प्रकार की बात जब टी० टी० कृष्णमाचारी थे, तब उनके सामने आई थी और टी० टी० कृष्णमाचारी ने 13 दिसम्बर, 1957 को पालियामेंट में कहा था :

"The incidence of duty would be appreciably lower in almost all cases than the existing average sales tax, and still the revenues would be higher."

[श्री प्रेम मनोहर]

जब पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया कि ये रेवेन्यूज कैसे हायर होंगे, तो उनका उत्तर केवल यही था कि इसमें चोरी नहीं होगी, चोरी के चांसेज कम हो जाएंगे । मेरा यह कहना है कि ड्यूटी एक जगह प्रोडक्शन पाइन्ट पर लगाने से जितनी अच्छी तरह से चोरी हम रोक सकेंगे उतनी किसी तरह से नहीं रोक सकेंगे ।

यह जो 3 परसेंट सेल्स टैक्स लगाने की योजना गवर्नमेंट की है, इसका असर छोटे व्यापारियों पर बहुत खराब पड़ेगा । मैं सदन के सामने यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़े व्यापारियों पर इसका असर बिलकुल पड़ने वाला नहीं है । बिड़ला, टाटा पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक के अपने अपने आफिस हैं । वे कोई माल अहमदाबाद से मंगाएंगे, बम्बई से मंगाएंगे वह उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आकर ट्रांसफर हो जायगा और उस पर उनको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन बड़े व्यापारियों के दूसरी जगहों पर दफ्तर है, उनको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा । जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके दूसरे प्रान्तों में दफ्तरनहीं हैं, उनको तीन परसेंट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा ।

इसके साथ एक बात और रखना चाहता हूं । यहां पर हम लोग कानून बनाते है, पिछले 20-22 साल से कानून बनाते चले जा रहे है, यहां पर आए दिन हम लोग लड़ते हैं कि मोनोपोलीज फार्म नहीं होनी चाहिए, छोटे और बड़े का अन्तर कम होना चाहिए, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से सोचे तो यही मालूम होगा कि हम वैसे ही कानून बनाते हैं, जिनसे मोनोपोलीज फार्म हों ।

जिनसे हमारा यह बड़े का और छोटे का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार के हमारे यहां के कानून हैं और इसी प्रकार के कानून हम यहां बनाना चाहते हैं और इस कानून के द्वारा तो हम सभी चीजों पर 3 परसेंट सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं । तो इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है । हमारे कानून ऐसे होने चाहिएं कि जिनके द्वारा चोरी कम से कम हो सके और सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो और इसके साथ में जो व्यापारी हैं, जो डीलर हैं उनको कम से कम दिक्कतें सामने आयें । आज हम यह देखते हैं कि जो व्यापारी है उसको बेहद दिक्कत अपने सेल्स टैक्स को देने में आती है, हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि सेल्स टैक्स जो है वह उपभोक्ता से लिया जाता है और किसी ईमानदार व्यापारी को सेल्स टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही एक बात यह है कि सेल्स टैक्स वसूल करने का जो तरीका है, उसकी जो प्रणाली है उसके द्वारा बहुत बड़ी असुविधा उत्पन्न होती है ।

दूसरी बात, जो रिट्रास्पेक्टिव दिया गया है बिल में, इससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी और व्यापारी केवल परेशान ही नहीं होंगे, बल्कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी नहीं आयेगा, उनको दिक्कतें पड़ेंगी और जो नौकरशाही है उसको व्यापारियों को परेशान करने का मौका मिलेगा । गवर्नमेंट ने यह सेल्स टैक्स वसूल किया है, तो उसको यह वापस करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वापस करना नहीं चाहती, इसलिए यह बिल ले आयी, यह बात समझ में नहीं आती । अगर गवर्नमेंट ने उसे वसूल किया है, तो उसे वापस करना चाहिए । इसलिए इसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट न दे कर इसको प्रास्पेक्टिव किया जाय और जो जनरल यूज की चीजें हैं उन पर 3 परसेंट सेल्स टैक्स न लग कर उनको फ्री किया जाय, यही मेरा अनुरोध है ।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA I (Mysore) : Mr. Vice-Chariman, Sir, first of all I would like to join with the sentiments expressed by Mr. Bhandari about the Ordinance that was issued about this Central Sales Tax. My point is ihis matter had come to the notice of the Government since a considerably long time after the first decision of the Supreme Court in inte-p:eting sections g(i) and 9(2) whereby in Mysore the Government of Mysore had to refund the Central Tax which was

collected. There was sufficiently long time for the Central Government to have come out with a Bill. There was no necessity to have waited till matters reached a stage of complication when based on the second judgment upholding the decision of the earlier one to cover even the cases which were subsequent to the amending Act of 1958, the different States starting from Kerala, Maharashtra and others started compelling the Central Government pointing out the urgency of the situation. The whole point is, in principle I am opposed to such legislations being brought by means of an Ordinance and that two with retrospective effect which will result in much complication and hardships for the genuine traders. So far as the Bill is concerned I am prepared to support it and I shall adduce my reasons for doing so but in principle I oppose the way this was brought first as an Ordinance. Mr. Achutha Menon has very clearly brought out the peculiar situation States like Kerala, Mysore and others where 'Commodities like coffee, tea, pepper, copra and others are subjected to Inter-States Sales Tax because of Inter-State sales and also the States Sales Tax. The interpretation ofsectiong(i) virtually made the Central Sales Tax that was collected illegal in view of the exemptions provided by the particular States at the first point of sale. I would like to know whether the Government of Mysore consulted t-he Central Government when after the first judgment "they were obliged to make a refund of the tax which had been collected earlier. If that had been done why there was such a lot of delay in considering this matter till more representations came from the State Governments and also from traders in Mysore and other places with the result that they had to bringforward an Ordinance. The interesting point here is, particularly in the case of Mysore a considerable amount of money was refunded and I do not know whether the Government of Mysore went to the Supreme Court or whether they contacted the Central Government about amending the Act. Subsequently after the judgment the traders in Mysore did not collect Sales Tax at all because they were not obliged to. Later on there was an apprehension that the Central Government was thinking of bringing forward an amendment with retrospective effect and they feared that in addition to paying back what was refunded to them they might also have to pay what they had not collected. Fortunately, I am very happy to see that this Bill provides an exemption for cases where the Sales Tax had not been collected; that is in section 10(1). That is very welcome provision. It is a good thing they have done that; otherwise the traders in Mysore, both large and small, would have been very badly hit.

There is one point about smaller traders and the consumers. There I am prepared to support the Bill because all those people who got the refund did not distribute the refund to the customers on the plea that the identity of the customers could not be established. So virtually what happened was the money that was refunded by the Government of Mysore was kept with the traders and with this retrospective effect of the provision they will have to pay it back. In my view it is quite correct but I would like to say here that care should be taken to see that cases where refund has been made to the actual consumers are considered and they are not asked to refund on the basis of the earlier refund to them by the State Government.

Apart from that, speaking generally, I would like to say that opportunity should be taken to rationalise the whole sales tax structure, particularly on consumer goods. The State Sales Tax and the Inter-State Sales Tax have complicated matters and consumer goods become costlier when they move from one State to another. A case in point is coffee which when it is sold in Mysore is subjected to one tax. When it is brought into another State the Interstate Sales Tax comes in with the result that the coffee which is released and sold by the Coffee Board and should be available to the consumer at the same price everywhere becomes more expensive when it is taken to another State. This matter should be gone into and as was mentioned particularly by Mr. Prem Manohar and others in the case of various other consumer goods also this is an aspect which sould be taken into consideration and proper rationalisation of the sales tax structure should be made.

Thank you.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनका मैं आभारी हूं। मंत्री जी ने अपना बिल प्रस्तुत करते समय मेरे द्वारा उठाये गये कुछ तर्कों का जवाब देने की कोशिश की है। अर्थात् यह बात तो माननी चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो टैक्स वसूल किया गया—कानून बनाते समय हमारी कुछ भी मंशा रही हो

[श्री सुंदर सिंह भंडारी]

परन्तु कानून की शब्दावली में और सेल्स टैक्स करने की व्यवस्था में कुछ कम रही और इसलिये वह एक गलत काम हमने किया और एक ऐसी रकम को हमने वसूल किया, जिसके लिये कानून हमें न्यायोचित अधिकार नहीं देता था।

उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और भी कुछ मुकदमे हुये, हम सोचते रहे, परन्तु आखिर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कुछ विधान बनाते हैं। कायदे बनाते हैं और एक इंडिविजुअल जितना बाउंड है उन कानूनों से उतना ही सरकार उन कानूनों से अपने आपको बांधने की तैयारी जब तक नहीं करेगी तब तक सरकार की अथारिटी की, वह हुकुमत की कुर्सी दबा कर बैठी है इतने मात्र से ही सुरक्षित नहीं होगी। सरकार को भी अपने कोड आफ कंडक्ट और कम से कम जुडीशियल इंटरप्रिटेशन को मान्यता देने के सम्बन्ध में निर्विवाद रूप से साबित करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि इस तरह के आर्डिनेंस से कानून को मान्यता देने के बजाय कानून के इंटरप्रिटेशन को बाजू में रख कर, अपने वही अर्थों को फिर से प्रकट कर के और शब्दों में लाने की कोशिश की जाय, एक अच्छी चीज नहीं होगी। मुझे तो इस बात में शक है कि जो तर्क दिया गया कि यह देरी लगी क्योंकी हमें सलाह मशविरा करना था वह उचित है, पता नहीं य अमन्डेड ला भी किस अदालत के दरवाजे पर जा कर चूर हो जायगा और फिर से मंत्री जी अदालत के उस फैसले को भी कंडोन कराने के लिये, कोई रिट्रास्पेक्टिव बात करवाने के लिये यहां इस दरवाजे पर आयेंगे।

पार्लियामेंट का इस तरह नाजायज उपयोग करने के बजाय लीगल रिमेम्ब्रेंस के दफ्तर को, ला डिपार्टमेंट को ठीक करें। उसके बारे में बहुत शिकायतें हैं। पिछले दिनों से पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव वर्क, ओरिजनल साइड में कम है और अमेंडिंग साइड में इतना बढ़ गया है कि कभी कभी सक्सेसिव सेंशस में एक ही बिल के ऊपर बार बार अमेंडमेंट्स पेश होते हैं। तो इस अवसर पर इस सारी मशीनरी के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फ्रेमिंग आफ लेजिस्लेशन के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिये, जितनी सावधानी बरतनी चाहिये, उतनी आप नहीं बरत रहे हैं और कभी कभी तो छोटे-छोटे कामा और फुलस्टाप और एकाद शब्दों के परिवर्तन के लिये अमेंडिंग बिल लाये जाते हैं। तब तो यह सारा डिपार्टमेंट दया का का पात्र ही बन सकता है, इसके लिये और किसी दूसरी संज्ञा का उपयोग नहीं किया जा सकता।

यह तर्क दिया गया कि राज्यों को रिफंड करने के लिये हम मदद नहीं देंगे, तो उनकी सारी एकानामी अपसेट हो जायगी, राज्यों का बड़ा दीवाला निकल जायगा। अगर राज्यों का दीवाला इस रकम से निकल सकता है, जो कि गैर-कानूनी दृष्टि से वसूल किया है, ला एज इट एग्जिस्टेड दैट डे उसके अनुसार उनको अधिकार नहीं था, तो मैं नहीं समझता कि उस इंडिविजुअल का क्या होगा, जिससे कि वसूल किया गया है। मैं नहीं समझता कि हमारा कानून इस तरह का होना चाहिये। फिर तो कल कोई डाका डाले और हम रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से डाके को लीगेलाइज करवाने के लिये कानून बनवाना शुरू करेंगे इस पार्लियामेंट में और मेजारिटी के आधार पर वह कानून बन जायगा, तो वह डाका वैलिड हो जायगा? माफ करियेगा मैंने उसकी मिसाल जरा एक्स्ट्रीम पर जा कर देने की कोशिश की है, लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि उस समय जो कानून एग्जिस्ट करता था—जिसको कोर्ट्स ने एक बार नहीं बल्कि इतने सालों के डिफरेंट जजमेंट्स के आधार पर केन्द्रीय सरकार के उसकी वसूली के अधिकार को उचित नहीं माना है—उसी को अब रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट देना और उसे वैलिड करना यह उचित नहीं है, यह न्यायासंगत नहीं है। राज्य सरकारों की सारी एकानामी बैठ जायगी और आप राज्य सरकारों की मदद करना चाहते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री

उनको इतनी राशि एक्स-ग्रेशिया दे देती और आगे के लिये कानून की इज्जत करने की परिपाटी स्थापित करने का प्रयत्न करती। वह ज्यादा आनरेबिल था। आगे के टैक्सेज की वसूली के लिये आप कुछ यह करें तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन उन सबके बारे में फिर से वसूल करने की बात कहें तो यह उचित नहीं है। लोग रिफंड न क्लेम कर सकें सरकारों से इसको भी आप बचाना चाहते हैं। आपका तो 70-75 करोड़ रुपया रिफंड के क्लेम का है, लेकिन जो और लोगों का है उसको भी बचाना चाहते हैं। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी कागज को लटकाये रखती है उसी तरह से वह कागज को और लटकाये रहती तो सारी रकम ही बच जाती। अगर ऐसा रहा तो फिर यह आदत बन जायगी कि हम इस पर स्लीप ओवर करते रहें और कोई अमेंडिंग बिल रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दे कर के हमको मदद कर सकता है, वह यह सोचेंगे कि इन कागजात को दबा कर बैठ जावें, उसको खत्ते में डाल दें और अगर हमारी नहीं चलेगी तो किसी दूसरी सरकार से कहलाया जायगा जो कि केन्द्रीय सरकार के ज्यादा प्रिय है और उसके आग्रह पर एक अमेंडिंग बिल से केन्द्रीय सरकार से इसको मनवाने की बात कर लेंगे। इस तरह से तो रिफंड और बाकी की सब बातों की जहमत से बच सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेंसी के लिये भी अच्छी चीज नहीं है।

अब, आप तो इस पर उतारू बैठे ही हैं। जिन सरकारों का वाजिबी रिफंड का क्लेम था, उनकी दरख्वास्तें पेंडिंग कर के रखी हैं, दस दस वर्ष से बेचारे भटक रहे हैं सरकारों से अपना रिफंड क्लेम करने के लिये और आप उसको बचाना चाहते हैं, अब जो डाके की रकम आपने ले ली उनसे वह आप अपने ही पास रखना चाहते हैं। रख लीजिये। जब आप उतारू ही बैठे हुये हैं तो रख लीजिये। लेकिन जो रिफंड आपने कर दिया उसको भी लेना चाहते हैं और वह केवल बड़ों को ही नहीं किया है, छोटों को भी किया है। सरकार का तो आपको खयाल है कि उनको जो पैसा मिल गया वह पहले ही खर्च कर चुके तो फिर एरिअर्स को कहां से देंगे, उनकी सारी एकानामी अपसेट हो जायगी, लेकिन इंडिविजुअल का भी तो खयाल करिये।

यह बात दूसरी है कि कांस्टीट्यूशन में सारी आर्थिक रचनाओं के लिये जो मूलभूत व्यवस्था है उसको बदल दें, किसी को व्यापार करने का अधिकार आप दें या न दें। यह पालिसी डिसीशन करने के बाद आप जो कुछ करें वह दूसरी बात है। इंडिविजुअल ट्रेड या बाकी की व्यवस्थाओं में चेंज करने की मंशा से फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर के कुछ करना चाहते हैं तो करें, कांस्टीट्यूशन को बदले। लेकिन जब तक विधि के अनुसार अधिकार है तब तक किसी को भी शक्ति नहीं होगी कि उनको रोक सके। लेकिन आप राज्य सरकारों के हित का विचार कर के कहते हैं कि उनकी एकानामी अपसेट हो जायगी, तो मैं भी कहता हूं कि इंडिविजुअल सिटीजन को, हिंदुस्तान के नागरिक को भी अधिकार है कि उसको जो रिफंड मिला, उसको उसने खर्च कर डाला तो आपको कहां से देगा। अब आप रिकार्ड का ओनस उस पर डालना चाहते हैं। आप ला आफ लिमिटेशन के अनुसार भी नहीं करना चाहते हैं। मैंने इस बात को पिन-प्वाइंट करने की कोशिश की लेकिन लिमिटेशन की मियाद से भी आप अपने को बांधना नहीं चाहते हैं। इस मामले में आप अपने को उससे भी बांधने के लिय तैयार नहीं। जितने कागजात उसके पास थे वह रहे हों या न रहे हों, उसको ही रिकार्ड देना है। इसका मतलब यह है कि अभी तक जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि लिमिटेशन की मियाद खत्म होने के बाद रिकार्ड्स की उतनी निगरानी, उतनी सावधानी रखने की आवश्यकता साधारणतया लोग अनुभव नहीं करते। लेकिन चूंकि अब उसके पास रिकार्ड्स नहीं हैं, तो आप फिर से रिफंड किया

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

हुआ पैसा उससे वापस वसूल करने के लिये तैयार हो जायेंगे । मेरा यही कहना है कि रिफंड किये हुये पैसे को फिर से वसूल करने के लिये आप इस सम्बध में कुछ कैटगरिकल बात कहिये । जिन प्रादेशिक सरकारों के पास पैसा पड़ा हुआ है वह कोई व्यक्ति उस जजमेंट के आधार पर क्लेम न करे और रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट के रूप में आप प्रादेशिक सरकारों को बचाना चाहते हैं कि उनको इकठ्ठा किया हुआ पैसा किसी व्यापारी को, ट्रेडर को वापस देना न पड़े, मैं आपके इस तर्क को यहां तक स्वीकार करने को सहमत हूं, परन्तु जिनको रिफन्ड किया जा चुका और उस रिफन्ड करने में आगे तक कईयों को, कन्ज्यूमर तक किया जाय, उस सारे का ओनस उन पर डालना और लिमिटेशन पीरियड के बाहर सभी हिसाबों पर डालना जैसा कि नार्मल रिकाड्स को मेनटेन करने की आवश्यकता होती है, यह कोई भी व्यापारी अनुभव नहीं करता है, तो यह रियेलाईजेशन की जो बात है इस संबंध में रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट का स्कोप रखते हुए भी, मैं समझता हूं, आपको इस बारे में केटेगरीकली कोई स्टेन्ड लेना चाहिये नहीं तो वह हैरेसमेन्ट का कारण होगा । आप उनका टैक्स लौटायें और गैरकानूनी तौर पर लिया गया टैक्स फिर से कन्ज्यूमर को मिले । स्टेट चूंकि सब जगह लावारिसों की वारिस जैसी सरकार हुआ करती है, इसलिये उस पैसे को रख ले इसमें आपत्ति नही है, परन्तु कम से कम जो हैरेसमेन्ट वाली चीज है, दोबारा उस रकम के रियालाइजेशन की दृष्टि से, इस संबंध में जरूर आप क़दम उठायें और उन लोगों को तकलीफ से बचाएं जो इस रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट की चोट में सहज रूप में आयेंगे ।

मेरा इस संबंध में निवेदन और भी है जो इस आर्डिनेन्स की व्यवस्था के अंतर्गत क्लाज 5 में सेक्शन 8 (ए) का जो अमेन्डमेन्ट किया है "the sale price of all goods returned to the dealer by the purchasers of such goods within a period of three month, from the date of delivery of the goods . . .

उसमें मैं जानना चाहूंगा कि जो तारीख आपने रखी है 14 मई, 1966, उसके पिछे आपकी क्या मन्शा है । वह आप बता दीजिए, क्योंकि 14 मई, 1966 के लिये तो आपने केवल 3 महीने रखे हैं और उसके बाद के पीरियड के लिये छ: महीने का समय देने की आपने बात कही है हालांकि मैं समझता हूं कि अगर मंत्रालय गुड्स के ट्रान्जिट और उनकी सारी प्रोसेज का हिसाब करके देखे तो यह 3 महीने तक तो कई बार इन्टिमेशन भी नहीं आता कि कौन सा रिजेक्ट हुआ है, कौन सा लौटाया जाने वाला है। तो आपको इस मीयाद के संबंध में जरूर विचार करना चाहिये । इस तरह के क्लेम्स के लिये एक साल का समय रखा जाता है । आप उसका विचार करिये और उसका विचार करके इसमें आवश्यक बदल करने की बात आप मंजूर करिये ।

मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप इस आर्डिनेन्स के द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से लागू करते समय, दुबारा रिफन्ड किये हुए पैसे को रियलाइज करने के अधिकार के संबंध में जो आपका मत है, उस संबंध में आप कुछ अपनी लाइन क्लियर करिये और सरकारों को न देना पड़े उसके अंतर्गत आप उनका बचाव करना चाहते हैं तो कर लिजिए । इतना मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा और इस आग्रह के साथ मैं अपना समर्थन इस आर्डिनेन्स को अपनी सशर्त सहमति के साथ देने की बात स्वीकार करता हूं ।

SHRI P. G. SETHI : Sir, I am highly thankful to thehon. Members, Mr. Achutha Menon and Mr. Chatterjee, for giving their wholehearted support to the measure that is before the House. Sir, as far as Mr. Balkrishna Gupta is concerned, 1 was failing to understand whether he was at all speaking on the Bill. It was a stereotyped speech which perhaps the hon. Member is habituated to repeat .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: It was timely in one sense.

SHRI P. G. SETHI : ... whether it is according to the occasion or not, and during the course of his speech Mr. Balkrishna Gupta also referred to the difficulties of the small traders. But as far as the small traders are concerned, the sales tax which is levied by the State Governments in their respective States is a different matter. Here we are concerned with the inter-State sales tax that is levied on sales resulting in the movement of goods from one State to the other State. Now because the collection of this sales tax did create difficulties for the respective States, therefore, by a Central Sales Tax Act provision has been made that this tax which is levied on the inter-State sales of goods is levied under it.

That is collected by the respective States and the entire proceeds of this tax collection goes to the States. Therefore, the sales tax which is levied in the States in their respective areas on the various consumer goods and other articles is quite different from the Central Sales Tax which is only levied on the inter-State sales of goods.

As far as this Act is concerned, when this Act was enacted it was our intention to levy a sales tax on the inter-State sales of goods, and we had provided for the levy of the tax under that Act and we had also thought that it would be levied according to the provisions of the Act. But it is a matter of common day experience that whenever there is a legislation and if the matter goes to the Court, it is sometimes probable and likely that the Court takes a different view about it and gives a different interpretation. Here the hon. Supreme Court have given a different interpretation to the Act which was passed, and that was with regard to section 9(1)- With regard to the expression "levied" in section 9 (1) of the Act as it stood prior to its amendment the Supreme Court held that "levied" meant not according to this Act but according to the provisions of the State Government Act. Similarly with regard to the procedure, the Supreme Court held that "in the same manner" which occurred in section 9 (2) of the Act as it then stood had the effect of assimilating within its ambit both the procedural and the substantive provisions relating to imposition of the levy and collection of the tax provided in the appropriate State law. This is entirely a matter of interpretation. It was the intention of the framers of the Act at that period of time that the tax would be levied on inter-State sales of goods according to the provisions of this Act and also according to the manner as provided in this Act. Now the hon. Supreme Court held a different view and pronounced their judgment, and the final judgment was pronounced in August, 1968. If the judgment as has come out is allowed to remain as it is, then as I have said, Sir, during the introductory remarks, the burden on the State Governments would be very heavy, it would be about Rs. 68 crores ; and the hon. Member, Mr. Bhandari, has again repeated our liking for Kerala and all that. I would like to point out that the impact of this refund, as far as Kerala is concerned is only Rs. 5.25 crores. It is Rs. 44 crores with respect to Maharashtra.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : At least that made you move. Otherwise you were sleeping over the issue.

SHRI P. C. SETHI : We were not sleeping. We were negotiating, consulting with them. We took the matter to the Regional Council. Ultimately we came to the conclusion that there was no way out except to bring out an Ordinance giving it retrospective effect so that the State-Governments may be saved from this burden of refunding this amount.

Another question is that the hon. Members Mr. Bhandari, Mr. Prem Manohar and Mr. Balkrishna Gupta were all pleading about the difficulties of the traders. As far as the States are concerned, it was rightly pointed out by Mr. Chatterjee and Mr. Achutha Menon that as far as the trader is concerned, either he has collected it from the consumer and after collecting it he has to pay it to the Government, and therefore the trader has nothing to lose. If he has collected, then he has to pay it to the Government. If he has not collected, we have already provided in the Act itself that if he proves that he has not collected—of course the onus of proof is on him—if he also proves that he has collected and even refunded, in that case also he will get the benefit. Therefore, the trader is not at all put to any harassment. If he has collected, he has to pay. If he has not collected, he is not to pay. Therefore, as far as 3 P.M. the retrospective effect is concerned, still it will be no problem for him

It was said by the hon. Shri Lakshmana Gowda that the Mysore State Government came to us. It was a fact that the Mysore State Government came to us after the 1964 judgment. But soon after came the Madras High Court judgement and therefore in view of that, it was not

[Shri P. C. Sethi]

possible to decide as to whether the Madras High Court judgment would prevail or the Mysore High Court judgment would prevail, and ultimately it was after the matter was finally settled in August, 1968 by the pronouncement of the Supreme Court that we had to come forward with this ordinance.

During the course of the discussion it was also said that the Central Sales Tax would be leviable even if there is no local sales tax on any commodity. I would like to make it very clear that if there is any commodity which is exempt from the local sales tax in a State, then the Central Sales Tax on the inter-State sale of such a commodity would not be there. Therefore, this fear which has been expressed here especially by Mr. Prem Manohar that new levies would come into existence is not correct. If there is no sales tax provided on any commodity in any particular State, from that point of view, there would be no inter-State saies tax.

As far as the law of limitation is concerned which point the hon. Mr. Bhandari has raised, this law of limitation differs from State to State. In some States it is four years, in some States it is six years or eight years and in some others it even extends up to 12 years. So, the law of limitation is there. And wherever the law of limitation would prohibit us from collecting the tax, certainly to that extent we will go by the law of limitation of the State and not by a general rule by extending it to all the States where the law of limitation does not permit us. It is not only for records that I am making it clear; but I am making it clear also with regard to the law of limitation that wherever it is there in a particular State, we will have to abide by that law of limitation in the matter of this particular Act also.

This Act which is before the House is a very simple Act and that is only to correct the position as has been created by the pronouncement of the honourable Supreme Court. We do not want to levy any fresh taxes; neither are we enhancing the percentage of the tax. We are trying to set right our record by bringing in this Bill, and I hope that the Bill would have the approval of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is :

"That this House disapproves the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 (No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is :

"That the Bill further to amend the Central Sales Tax Act, 1956 and to provide for certain other matters, as passed by the Lok Sabha, be taken i nto consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill

Clause a *to* 4 *were added to the Bill.*

Clause 5—*Insertion of new clause SA.*

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Sir, I move :

1."That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Central Sales Tax (Amendment) Bill, 1969, as passed by the Lok Sabha, namely :— 'That at page 2, line 33, for the word, 'three' the word 'six' be substituted.'

2."That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Central Sales Tax (Amendment) Bill, 1969, as passed by the Lok Sabha, namely :—

'That at page 2, line 36, for the word, 'six' the word 'twelve' be substituted.'

The questions were proposed.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मुझे अफसोस है कि इस बात का उल्लेख करने के बाद भी कि उन्होंने रिफंड के मामले में वह तारीख जो 14 मई, 1966 के पहले थी 3 महीने की और उसके बाद 6 महीने की, उसके संबंध में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नही दिया ।

श्री पी० सी० सेठी : मैंने कहा था कि इस संबंध में आपका अमेंडमेंट है और उसको आप मूव करेंगे ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसीलिए तो अमेंडमेंट मूव करना पड़ रहा है। मेरा यह निवेदन "The sale price of all goods returned to the dealer by the purchasers of such goods. का समय दिया गया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जानते हैं कि जब सामान जाता है, मूवमेंट्स आफ गुड्स होता है, उसके क्लियरिंग में, रिसिविंग में, काउंटिंग में, चैकिंग में, rebooking and reaching the original starting point. लम्बा प्रोसेस है, जिसके लिए आजकल कभी कभी 2 महीने का समय तो साधारणत: उसके पहुंचने में, वापसी में, उसके समाचार मिलने में या सामान के पहुंचने में लग जाता है। क्योंकि क्रेडिट टर्म्स के अनुसार, 45 दिन का समय तो दिया ही जाता है, इसीलिए वहां 3 महीने के समय से काम नहीं चलेगा।

एक बार यह समझ लेने के बाद कि आपकी यह तारीख का क्या महत्व है, अगर महत्व है तो उसके लिए 6 महीने का समय उचित नहीं होगा बल्कि 12 महीने का समय बढ़ा दिया जाना चाहिये और इसीलिए मैंने अपने संशोधन द्वारा इस चीज की मांग की है। अगर वह तारीख 14 मई, 1966 का कोई विशेष अर्थ नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि यह दोनों क्लाज अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। आर्डिनेन्स में जिस तरह से एक क्लाज है, उसी तरह का क्लाज इसमें भी कर दिया जाय और पूरा 12 महीने का समय इसके लिए दिया जाय। सरकार ने 6 महीने का समय "sale deductions from turnover.' ' के लिए दिया है, इसमें भी 12 महीने का समय दिया जाना उचित होगा। यही मेरा संशोधन है और मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

SHRI P. C. SHETI: Sir, by amending the rule by a notification of the 3rd May, 1966—and it was published in the Gazette on the 14th May, 1966—it was provided that such deductions would be available if the goods were returned within a period of six months. Previously, it was three months. But later on, after consultation with the State Governments, we came to the conclusion that it would be better to raise it to six months, from three to six months and therefore subsequently by a notification it was raised to six months. And now, as far as the present limit is concerned it is six months.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसको आप फिर 3 महीना क्यों कर रहे हैं?

श्री पी० सी० सेठी : वही तो मैं कह रहा हूं कि 1966 के पूर्व 3 महीने था और 1966 के बाद 6 महीना कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो जो असेसमेंट पूरे हो चुके हैं, उनको फिर से वापस खोलना पड़ेगा और इससे काफी गड़बड़ी पैदा होगी कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस पीरियड को वही रखा है और इस पीरियड के साथ ही 6 महीने का समय भी रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : 3 महीने के बाद भी।

श्री पी० सी० सेठी : इसमें काफी दिक्कत होगी; क्योंकि इससे नये लिटिगेशन होंगे और नये असेसमेंट के प्रावलम पैदा होंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): The question is:

1. "That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Central Sales Tax (Amendment) Bill, 1969, as passed by the Lok Sabha, namely:

'That at page 2, line 33, for the word 'three' the word 'six' be substituted.'

The motion was negatived.

THE VTCE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is:

2. "That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Central Sales Tax (Amendment's Bill, 1969, as passed by the Lok Sabha, namelv:

'That at page 2, line 36, for the word '."ix' the word 'twelve' be substituted.' "

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill." *The mclion was adopted. Clause 5 was added to the Bill. Clauses* 6/011 *were added to the Bill. Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. C. SETHr : Sir, I move : "That the Bill be returned." *The question was proposed.*

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मुझे खेद है कि एक छोटी सी व्यवस्था जो व्यावहारिक है और जिस व्यवस्था को स्वीकार न करने के कारण साधारण टैक्स पेयर को बहुत बड़ा हरैसमेंट होता है, उसको भी सरकार ने स्वीकार करने की सूझबूझ नहीं दिखाई ।

मेरी दूसरी इस सम्बन्ध में आपत्ति है और वह है पुराने रियलाइजेशन के बारे में । उसने टैक्स लिया था या नहीं लिया था, अब आपका डिपार्टमेंट किस आधार पर उनसे वह टैक्स वसूल करने के नोटिसेज जारी करेगा । क्या उसको कोई ख्वाब आयेगा । हां, जिन्होंने पहले अपने यहां पर रिफंड लिया हो, उस रिफंड के आधार पर फिर से आप नोटिसेज दें, तो समझ में आ सकता है । नहीं तो किसी भी सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर को, किसी भी व्यक्ति को हरैस करने के लिये यूं ही गुमनाम या मनगढ़ंत नोटिस जारी करने का ऐसा अधिकार देना उचित नहीं होगा कि तुम्हारा उस समय का इतना बकाया है । हमारा क्लेम है कि तुमसे इतना लेना है और अगर तुम नहीं दे सकते हो, तो रिकार्ड लाओ, तुम यह सिद्ध करो की तुमने यह वसूल नहीं किया था । मैं समझता हूं कि इस एक एस्पेक्ट पर आप विचार करिये कि कहीं पर इसकी कोई बुनियाद बनी हो पहले तब तो इस सवाल को आगे बढ़ाने में, इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने में और इस रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट के अधिकार को लेने में कुछ तर्क है । नहीं तो यह हैरेसमेंट का कारण बनेगा और इस हरैसमेंट को रोकने का अगर आप कोई इन्तजाम कर सकें तो करिये ।

एक तीसरी चीज़ जो मैं इस सवाल पर कहना चाहता हूं वह यह है कि जो सेल्स टैक्स की बात हमने शुरू की थी वह सेल्स टैक्स की बुनियाद बनी है, एक्साइज रेवेन्यू के समाप्ति के क्लेम पर और जैसाकि मेरे मित्र प्रेम मनोहर जी ने भी कहा कि एक्साइज टैक्जेशन को बदल कर हमने उसकी जगह सेल्स टैक्स की बात चालू की थी । लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि आजकल एक्साइज भी कई चीजों पर फिर लगा है । अगर आप फिर से एक्साइज पर रिवर्ट होना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि जिस बुनियाद पर सेल्स टैक्स की नीव पड़ी थी, अब उस सिद्धांत को हम छोड़ रहे हैं । इस सारी चीज को हमें फिर से देखना चाहिये या तो हम एक्साइज इस प्रकार की चीजों पर लगाने के बारे में एक पक्का निर्णय लें कि वह लगेगा या नहीं लगेगा या फिर हमको इस सारे सेल्स टैक्स पर विचार करना चाहिये । सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार तो हमने इसलिये लिया था कि राज्यों की रेवेन्यू जो हम समाप्त कर रहे हैं, इस कारण से प्रांतों को उसका नुकसान न उठाना पड़े । अगर ऐसा है तो फिर उन्हीं चीजों पर एक्साइज लगाते समय हम इस चीज पर कुछ विचार करें ।

मैं समझता हूं कि आप सिम्पलिफिकेशन आफ टैक्स स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं । यह प्रश्न आज बड़ा विवाद का बना है, भ्रष्टाचार का घर बना है । खासकर छोटे-छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोगों के लिये, दूकानदारों के लिए यह टैक्स का स्ट्रक्चर आज इतना बडा काम्पलेक्स हो गया है, इतने भिन्न-भिन्न प्रकार से उनको एकाउंटिंग का और इंस्पेक्टरों का सामना करना पड़ता है कि उनके लिये व्यापार करना एक बड़ी झंझट की बात हो गई है, अगर आप व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहें तो ठीक है, आप उसका डिसीजन ले लिजिये । लेकिन जब तक वह डिसीजन आप नहीं लेते हैं, तब तक हमको

भी कुछ नार्म्स का पालन करना होगा । आज लोकल टैक्जेशन है । आज आक्ट्राय का सारा टैक्जेशन रहता है, एक्साइज है, सेल्स टैक्स है और उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्ज़ेशन का इतना जम्बलिंग हो गया है कि आज इस बात की जल्दी से जल्दी आवश्यकता है कि इनको गवर्नमेंट कहीं न कहीं स्ट्रीमलाईन करे । इस सारे टैक्स स्ट्रक्चर को सिम्प्लिफाई करे । हम स्टेट्स और सेंटर के सोर्सेज आफ रेवेन्यू के बारे में कोई एक मोटा मोटा सिद्धांत तय कर लें, जिससे ओवरलैपिंग भी न हो और केन्द्र के अधिकार छोड़ने की बात भी न हो । दुर्भाग्य से अब वह स्थिति नहीं रही है कि केवल हम एक दूसरे के अधिकारों को प्रिज़मशंस के आधार पर साल्व कर लेंगे । अब लड़ाइयां शब्दों की हैं, विधान की हैं । इस वजह से वैधानिक व्यवस्थाएं भी हम इस प्रकार की करें, जिसमें प्रादेशिक आधारों को सुरक्षित रखा जा सके । उनको केन्द्रीय ग्रांट्स पर, केन्द्र द्वारा दी गई विशेष अनुदानों पर, केन्द्र की दया पर निर्भर रखना, ये बातें जितनी कम होंगी, उतना ही हम केन्द्र और राज्यों के आर्थिक स्रोतों के मजबूत पाये पर एक दूसरे के बीच में खिचाव की स्थिति को रोखने की परिस्थितियाँ पैदा कर सकेंगे ।

इन तीन चार बातों की तरफ मैंने मंत्री जी का ध्यान इस तीसरे वाचन के समय में

SHRI P. G. SETHI : Sir, as far as this measure is concerned, it is mainly meant, in most of the cases, to enable us to retain what has already been collected.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Why do you not be categorical about that?

SHRI P. C. SETHI : No, no. It is meant mainly for retaining what has been collected. At the same time the honourable Member has also said that it will involve more of trouble to the merchants and the onus of proof is on them. The States are dealing with the sales tax. Therefore, the State Governments will certainly take care of the cases if there is any case of undue harassment.

Sir, I have also Jmade it amply clear that as far as the Law of Limitation in a particular State will prohibit us from attending a particular case, then certainly that would not be opened. The Law of Limitation of the State would be a binding force on us.

Then, Sir, the main question of streamlining the Central Sales Tax is separately under consideration. In what way it should be streamlined and what further measures should be brought forward before the House is under consideration. I am sure in course of time we will come before the House with some amendments of the Central Sales Tax Act and the hon'ble Member would be quite free to suggest to us the various measures which are to be suggested by him. It is our intention to refer this Bill to a Joint Select Committee so that at that appropriate time we can go into the merits and other problems with regard to the Central Sales Tax Act.

A question has also been raised with regard to the excise duty and the Central Sales Tax. This is well known to the House that at the moment there is no sales tax on sugar, tobacco and textiles. We are getting excise duty on these commodities. It has been the persistent demand of the various trade associations and very many people that instead of sales tax we should have excise duty, that will remove most of the problems of the traders. But, Sir, at the same time we are receiving representations from the State Governments that even with regard to these three subjects which are exempt from sales tax and where we are collecting excise duty, that also should be left to the State Governments because they are not in a position to levy sales tax. There are certain commodities which are notified. On these notified commodities also the State Governments are not able to put more than 3 per cent. sales tax. So this is a matter for negotiations with the State Governments. The Fifth Finance Commissions' Report has already been received. When it will be taken up with the State Governments for discussion all these points would arise, and I am quite sure that after that discussion we will be in a position to say whether a particular commodity has to be taxed under excise duty or sales tax and some positive thing would emerge out of that. Till such time, Sir, we have no other way out except to act under the Central Sales Tax Act and we are before the House only to get the lacuna, arising on account of the Supreme Court's pronouncement, removed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The question is:

"That the Bill be returned." *The motion was adopted.*

I. RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE GOLD (CONTROL) AMENDMENT ORDINANCE, 1969 (NO. 6 OF 1969)

II. THE GOLD (CONTROL) AMENDMENT BILL, 1969

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि :— "यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति द्वारा 3 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

ff["That this House disapproves the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 (No. 6 of 1969), promulgated by the Vice President acting as President on the 3rd July, 1969."]

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक जब से आया है तब से विवादास्पद बना हुआ है। यह भयंकर रूप से प्रभावी हुआ है। एक तरफ जहां इस देश के लाखों लाख लोग और इस व्यवसाय में लगे लोग प्रभावित हुए हैं, दूसरी तरफ इसको लाने वाले मंत्री भी प्रभावित हुए हैं। जिस समय स्वर्ण नियंत्रण कानून को प्रथम बार श्री मोरारजी देसाई लाए थे, इसके प्रभाव की बदौलत वे प्रथम बार मिनिस्ट्री से हटे और पुन: जब उन्होंने मेरे ही सामने इस सदन में इस बिल को उपस्थित किया था, तब हमने उनसे आग्रह किया था कि यह बिल ऐसा भयावह है, ऐसे गरीब लोगों पर प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम मंत्री को भुगतना पड़ता है। एक कहावत है "निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे चाम की सांस सौ लोह भस्म हो जाय"। लाखों लाख गरीबों की उसांस में हमारे मंत्री श्री मोरारजी देसाई को पुन: मंत्रिमंडल से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रधान मंत्री जो वित्त मंत्रालय का भार सम्भाले हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी सुविधा के नाम पर इस गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के द्वारा उन लाखों लाख सुनारों के परिवारों को, उनकी जान को संकट में न डालें। राजनीतिक दांवपेच के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन तत्वों से वे वाहवाही लूट रही हैं, जिन बिचारों को यह पता भी नहीं है कि उन्हें बैंक से क्या मिलने वाला है। लेकिन जिनको पता है, जो लाखों लाख लोग गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्टसे त्राहि माम, त्राहि माम कर चुके हैं, उनकी त्राहि माम को पाहि माम में बदलने के लिए आप तैयार नहीं हो सके। आज वित्त मंत्रालय आपने सम्भाला है और यह आश्वासन दिया है कि आप इसके द्वारा कुछ प्रगति लाएंगी। हमारे दल ने स्वर्ण नियंत्रण विधेयक का शुरू से विरोध किया है। आज जब यह अवसर मिला है तो मैं यह कहता हूं कि इस नए विभाग के मिलने के बाद आपको मौका मिला था कि थोड़ी सी सुविधा न लेकर सारे ऐक्ट को समाप्त कर दें जिससे लाखों लाख परिवारों का भाग्य बदले लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आपके ऐक्ट को चेलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को असंगत मानकर इनवैलीडेट कर दिया, तो आपने उनको सुधारने की कोशिश की है और उसमें कुछ जोड़ने की भी कोशिश की है। अगर जोड़ने वाली धाराओं को भी चैलेंज किया जायेगा, तो पता नहीं वे धाराएं भी टिकेंगी या नहीं टिकेंगी।

अब मैं कुछ मूलभूत प्रश्नों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। जिस समय इस बिल को लाया गया था, उस समय कहा गया था कि देश के सामने जो समस्या है, तस्कर व्यापार जो बहुत प्रबल रूप से हो रहा है, इस ऐक्ट के आने से वह तस्कर व्यापार रुकेगा, लाखों रुपया जो दूसरे देशों को चला जाता है वह नहीं जायेगा। क्या तस्कर व्यापार रुक गया? तस्कर व्यापार में जितने सोने को पकड़ा गया है उसी से मालूम हो जायेगा कि सोने का व्यापार बहुत ही बड़ा है। अगर उसको रोकने वाले

ff] English translation.